दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन सुनवाई

निर्णायक मंडल (ज्यूरी) के निष्कर्ष के साथ विवरण

Shahri Adhikar Manch: Begharon Ke Saath
शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ
Urban Rights Forum: With the Homeless

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ (SAM:BKS — Urban Rights Forum : With the Homeless) दिल्ली आधारित 20 से अधिक संगठनों, सामाजिक आंदोलनों और बेघर नागरिकों का समूह है। वर्ष 2008 में स्थापित एसएएम : बीकेएस भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों द्वारा सुनिश्चित बेघरों के मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए कार्य करता है और सभी बेघर लोगों को उचित आवासीय सुरक्षा प्रदान करता है।

एसएएम : बीकेएस की कार्यकारिणी में मिलुन कोठारी (संयुक्त राष्ट्र के समुचित आवास मामलों के पूर्व विशेष प्रतिनिधि), अमीता जोसेफ (कार्यकारी निदेशक, बिजनेस एण्ड कम्युनिटी फाउंडेशन), इन्दु प्रकाश सिंह (संयोजक, नेशनल फोरम फॉर हाउसिंग राइट्स) और शिवानी चौधरी (कार्यकारी निदेशक, हाउसिंग एण्ड लैण्ड राइट नेटवर्क) शामिल हैं।

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ

सचिवालय:

जी-18/1 निजामुद्दीन वेस्ट

लोवर ग्राउंड फ्लोर

नई दिल्ली-110013

011-2435-8492

shahriadhikarmanch@gmail.com

डिजाइन एवं प्रिंटिंग

कल्पना प्रिंटोग्राफिक्स, नई दिल्ली-92

नई दिल्ली

जनवरी 2014

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन सुनवाई

निर्णायक मंडल (ज्यूरी) के निष्कर्ष के साथ विवरण

Shahri Adhikar Manch: Begharon Ke Saath
शहरी अधिकार मंचः बेघरों के साथ
Urban Rights Forum: With the Homeless

विषय सूची

1	परिचय	1
2	साक्ष्य	3
3	निर्णायक मंडल (ज्यूरी) की टिप्पणी	13
4	छायाचित्र	19

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन सुनवाई

परिचय

दिल्ली में 1,50,000 से अधिक लोग फुटपाथों, फ्लाई ओवरों के नीचे, पार्कों में, पुरानी जीर्ण इमारतों में, रेलवे ट्रैक और अन्य सार्वजनिक स्थलों में रहते हैं। इस बेघर आबादी में 10,000 से 15,000 के बीच महिलाएं और लड़कियां हैं, जो अपने परिवार के साथ अथवा अकेली रहती हैं। अधिकतर मामलों में गरीबी, बेरोजगारी, बेसहारा हो जाना, पारिवारिक विघटन और महिलाओं एवं लड़कियों द्वारा गलियों में घर लेकर रहने की सामर्थ्य का अभाव इसके प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के बेघर होने का दूसरा कारण घरेलू हिंसा है। अधिकांश महिलाएं और लड़कियां अपने पति, पति के परिवार या उनके अपने परिजनों के अत्याचार एवं हिंसा से बचने के लिए घर छोड़ देती हैं। बेघर होने से उनके विरुद्ध हिंसा एवं क्रूरता और बढ़ जाती है। एकल महिला को अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें न केवल अपना बचाव करना होता है बल्कि अपने बच्चों को बाल तस्करी और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों से भी बचाना होता है।

खुले स्थानों पर रहने पर महिलाओं को दिल्ली में अधिक कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, पुलिस, स्थानीय गुण्डों और आते-जाते लोगों की डॉट-फटकार व कटाक्ष, शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न और आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का सामना भी करना पड़ता है। आवश्यक सेवाओं एवं जन सुविधाओं का अभाव बेघर महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी की एक बड़ी समस्या है। असुविधाजनक एवं बदहाल सार्वजनिक शौचालय एवं स्नानागार के कारण बेघर महिलाओं को नियमित सफाई एवं नहाने-धोने में काफी कठिनाई होती है। उन्हें अक्सर खुले सार्वजनिक स्थलों जैसे नदी-नालों व पाइप लाइनों के आसपास, रेलवे ट्रैक या अस्थाई आवास के बाहर शौच व स्नान करना पड़ता है। इससे उन्हें आये दिन पास-पड़ोस के पुरुषों एवं आने-जाने वाले लोगों के सामाजिक एवं यौन उत्पीड़न और कटाक्षों को झेलना पड़ता है। जो महिलाएं रेलवे प्लेटफार्म, फुटपाथ, बस स्टॉप या अन्य खुले स्थानों पर रहती हैं उन्हें कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। खासकर, ट्रक ड्राइवर खुलेआम महिलाओं को बुलाकर उन्हें शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव देते हैं। जब महिलाएं उनकी बात मानने से इंकार कर देती हैं तो उन्हें मारा-पीटा जाता है।

मूलभूत संवैधानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का हनन बेघर महिलाओं के जीवन की नियति बन चुकी है। उनके काम करने और सम्मानित जीवनयापन के मौलिक अधिकारों का उन्हें काम पर रखने वालों एवं राज्य द्वारा हनन होता है। अपने बच्चों को क्रेच या अन्य बाल सरंक्षण केन्द्र में रख पाने की सामर्थ्य न होने के कारण वे अपने बच्चों को कार्यस्थल पर अपने साथ रखती है। इससे उन्हें फुलटाइम रोजगार देने से मना कर दिया जाता है। काम पर रखने वाले उनसे सुरक्षा की दृष्टि से परिचय-पत्र दिखाने को कहते हैं, अधिकांश महिलाओं के पास परिचय पत्र नहीं होता, जिससे उन्हें या तो काम पर रखा ही नहीं जाता और यदि रखा की भी जाता है तो बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है। परिचय-पत्र के अभाव में उन्हें अपने बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त पुलिस उन्हें गलियों में दुकान लगाने की अनुमति नहीं देती और रिश्वत न देने पर उन्हें प्रताड़ित करती है। जबरन बेदखली के लिए पुलिस और संबंधित सरकारी अधिकारी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना बेघर महिलाओं एवं उनके बच्चों के कपड़े जला देते हैं और उनका सामान गलियों में फेंक देते हैं। बेघर पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के साथ आपराधिक घटनाएं होने पर पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के बजाय शोषणपूर्ण रवैया अख्तियार करती है। हाल ही में कनॉट प्लेस में सड़क पर सो रही एक बेघर महिला को पीट-पीटकर मार दिया था। यह घटना राज्य की अपने नागरिकों प्रति अत्यधिक क्रूरता और संवेदनहीनता को उजागर करती है।

बेघर लोगों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रखना उनके मानवाधिकारों के हनन की दूसरी प्रमुख वजह है। शहर में सस्ते स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों के अभाव के कारण बेघर महिलाओं और लड़कियों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवाएं हासिल करना बड़ी चुनौती है। अधिक महत्वपूर्ण है कि बेघर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में एवं प्रसव के बाद मां एवं बच्चे के स्वास्थ्य लाभ की सुविधा न मिलना एक गंभीर समस्या है। कई बेघर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया जाता है, जबकि प्रसव के समय उसे एक इमरजेंसी केस की तरह देखा जाता है और बेघर महिलाएं प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच एवं उपचार का व्यय वहन नहीं कर सकतीं। पहचान-पत्र न होने के कारण उन्हें सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने से इंकार कर दिया जाता है।

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन सुनवाई

दिल्ली में बेघर महिलाओं को आए दिन हिंसा का सामना करना पड़ता है, मौखिक कटाक्ष, शारीरिक एवं यौन उत्पीड़न और आर्थिक व सामाजिक शोषण के रूप में होने वाली इस हिंसा से उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मीडिया भी ऐसी अत्याचारपूर्ण घटनाओं को अपवादस्वरूप ही उजागर करता है और अधिकारी उनकी शिकायतों को आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभावित महिलाओं के पास कानूनी मदद प्राप्त करने या अपनी शिकायतें आगे ले जाने के लिए कोई जरिया नहीं होता इससे उनकी शिकायतें अनसुनी ही रह जाती हैं। दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा के गंभीर मामलों को प्रकाश में लाने के लिए 'शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ' (Urban Right Forum : With the Homeless) ने 13 अगस्त 2013 को इंडिया इंटरनेशनल, दिल्ली में एक जन सुनवाई का आयोजन किया।

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ (एसएएम:बीकेएस), पिछले पांच वर्षों से दिल्ली में बेघरों को न्याय दिलाने एवं उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर संघर्षरत है। एसएएम:बीकेएस द्वारा जनवरी 2010 में आयोजित प्रेस वार्ता और सरकार द्वारा बेघरों के आश्रयगृह उजाड़े जाने के फलस्वरूप हुई दो बेघर लोगों की मौत एवं दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के विरुद्ध स्वत: संज्ञान (sou moto) लेने पर व्यापक मीडिया कवरेज से यह मामला चर्चा का विषय बना। एसएएम:बीकेएस ने इस मामले में न्यायालय का पूरा सहयोग किया था, मामला अभी भी

न्यायालय में विचाराधीन है। इस मामले की न्यायालय में सुनवाई के दौरान एसएएम:बीकेएस ने बेघर महिलाओं के विरुद्ध पुलिस की बर्बरता एवं विभिन्न पक्षों द्वारा बेघरों के मानवाधिकारों के निरंतर हनन को उजागर किया। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शहर में बेघर आबादी, मुख्यत: बेघर महिलाओं के पक्ष में अंतरिम आदेश पास किये जाने के बावजूद दिल्ली सरकार उनके जीवनयापन की स्थिति एवं उन्हें सुरक्षा व सम्मान प्रदान कराने में आंशिक सुधार ही कर पाई है।

यद्यपि दिल्ली में 16 दिसम्बर 2012 के सामूहिक बलात्कार कांड के पश्चात केन्द्र सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लिया, लेकिन बेघर महिलाओं तथा उनकी विशेष समस्याओं का मामला सार्वजनिक बहस का हिस्सा नहीं बन सका। इस कारण एसएएम:बीकेएस को दिल्ली में बेघर महिलाओं और लड़कियों की दुर्दशा को प्रकाश में लाने हेतु एक जन सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई, ताकि पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को आमंत्रित कर, आये दिन उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न की घटनाओं की जांच-पड़ताल की जा सके।

जन सुनवाई में निर्णायक मंडल (ज्यूरी) के समक्ष 12 बेघर महिलाओं तथा लड़कियों के साक्ष्यों के आधार पर उनकी सुनवाई की गई। निर्णायक मंडल में न्यायमूर्ति लीला सेठ (हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी की सदस्य, जिन्होंने भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा पर एक गहन रिपोर्ट तैयार की थी), न्यायमूर्ति ए.पी. शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने दिल्ली सरकार के विरुद्ध बेघरों पर सुओ मोटो केस की पहल की थी), श्री मिलुन कोठारी (संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवास मामलों के पूर्व विशेष प्रतिनिधि), सुश्री अम्बिका पंडित (सहायक सम्पादक, टाइम्स ऑफ इंडिया) और सुश्री मधु मेहरा (कार्यकारी निदेशक, पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट) शामिल थे। जन सुनवाई में 200 से अधिक बेघर पुरुषों एवं महिलाओं सहित नागरिक जन संगठनों के प्रतिनिधि, मीडियाकर्मी और जन सामान्य उपस्थित थे।

जन सुनवाई पर बेघर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

1 कश्मीरी गेट, दिल्ली

नाम : **शारदा शर्मा**

उम्र : **42 वर्ष**

निवासी : **कश्मीरी गेट बस डिपो**

जीवनयापन की स्थितियां

कश्मीरी गेट पुरानी दिल्ली में एक व्यस्त क्षेत्र है। भारी संख्या में यात्रियों की आवाजाही के कारण यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक भीड़भाड़ वाला है। यहां अक्सर पुलिस और यात्रियों द्वारा अकेली महिला को यौन संबंध बनाने के लिए अत्यधिक मजबूर किया जाता है। बेघर अकेली महिला को पुलिस 'गश्ती' (वेश्या) कहकर कटाक्ष करती है। वे उन्हें उस क्षेत्र से जबरन खदेड़ने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं। अक्सर, ये महिलाएं बस स्टॉप, फुटपाथ और अन्य खुले स्थानों पर सोती हैं जिससे असामाजिक तत्वों के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना सरल हो जाता है। सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने पर इन महिलाओं से किसी एक काम के लिए 10 रुपए और नहाने व कपड़े धोने के 20 रुपए वसूले जाते हैं। पीने का पानी उन्हें यमुना नदी से लेना पड़ता है, जो कि अत्यधिक प्रदूषित (जहरीला) है।

साक्ष्य

मैं 22 वर्ष पहले अपने घर से निकल आई थी। अपने झगड़ालू पति से तंग आकर मैंने अपना वैवाहिक जीवन समाप्त कर दिया था और अपनी तीन महीने की बेटी के साथ यहां दिल्ली आकर रहने लगी थी।

मैं इस शहर की भाषा और भूगोल से अनभिज्ञ थी। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और कभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रहने लगी। पैसे का इंतजाम करने के लिए मैं अपना मंगलसूत्र बेचने के लिए सुनार के पास गई। मुझे पैसे के लिए अत्यधिक जरूरतमंद जानकर सुनार ने मुझे 300 रुपए दिए और कहा कि मुझे बाकी पैसा हार की रसीद दिखाने पर मिलेगा। उसने मुझे धमकाया कि यदि मैंने अधिक पैसा मांगा तो वह पुलिस में शिकायत कर देगा। आरोपों की धमकी से डरकर मैंने पैसे लिए और हार छोड़ दिया।

मेरे लिए अपनी बच्ची के साथ प्लेटफार्म पर रहना सरल नहीं था। मैं निरंतर पुलिस द्वारा उत्पीड़ित होती रही, जो मुझे कहीं भी बैठने या सोने नहीं देती थी। आने-जाने वाले जोर-जोर से भद्दी टिप्पणियां करते थे। पुलिस मुझसे हमेशा पूछती थी कि मैं कहां से आई और अपने गांव लौट जाने को कहती थी। लेडी इरविन हॉस्पीटल की एक नर्स ने मेरी हालत को समझा। उसने मुझे अपने घर में सोने की जगह दी और एक ठेकेदार के माध्यम से निर्माण स्थल पर काम ढूंढने में मेरी मदद की। काम अत्यधिक थकाने वाला था और दिनभर में काम के 20 रुपए मिलते थे। ठेकेदार काफी रूखा था और मुझे हर वक्त बेइज्जत करता रहता था। किसी सामान के खो जाने या चोरी होने पर मेरी पिटाई भी करता था।

तब मैंने कश्मीरी गेट पर सुलभ शौचालय (सार्वजनिक शौचालय) पर काम करना शुरू किया। मैं वहां रहने लगी और हर महीने 1,100 रुपए कमाने लगी। पुलिस का उत्पीड़न लगातार जारी रहा और वे कहते कि यदि मुझे वहां रहना है तो मुझे उन्हें 'खुश' करना होगा। वहां रहने के लिए उन्होंने मुझे शारीरिक संबंध बनाने के

लिए बाध्य किया। पुलिसकर्मियों के बदल जाने पर भी उत्पीड़न जारी रहा। नए पुलिसकर्मी भी पहले वालों की तरह ही रूखे और निर्दयी होते थे। मुझे हमेशा डर रहता था कि वे मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए मैं उनकी मांगें मानती रही।

2 करोल बाग, दिल्ली

नाम : **बीना अम्मा**

उम्र : **58 वर्ष**

निवासी : **रैगरपुरा, आश्रय-गृह**

जीवनयापन की स्थितियां

रैगरपुरा क्षेत्र में बेघर महिलाओं के लिए एक आश्रय गृह है। यद्यपि आश्रय गृह में 100 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है और बेघर महिलाओं के लिए लाभदायक है, लेकिन वहां सफाई और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं जो कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

साक्ष्य

मैं जब गलियों में रहती थी तो पुलिस की कई प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता था। पुलिस ने मुझे एक बार एक अस्पताल के बाहर गिरफ्तार किया और निर्मल छाया (भिखारी आश्रय-गृह) भेज दिया। मुझे पन्द्रह दिनों बाद रिहा किया गया। पुनः मुझे गोल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया और निर्मल छाया भेज दिया गया, जहां कि कर्मचारियों ने मेरा पैसा ले लिया।

पुलिस ही वास्तव में भिखारी है और जमानत पर छोड़ने की कीमत इतनी अधिक है कि हम उसे वहन नहीं सकते। पुलिस हमें हर वक्त परेशान करती है और दिन हो या रात हमें चैन से बैठने या सोने नहीं देती। वे हमें मंदिर के बाहर भीख भी नहीं मांगने देती। हमारी प्रार्थना है कि दुकानों और मंदिरों को हटा दिया जाए और हमारे लिए आश्रय-गृह एवं आजीविका केन्द्रों का निर्माण किया जाए ताकि हम काम कर सकें और सम्मानजनक जीवन यापन कर सकें।

3 पुल मिठाई, दिल्ली

नाम : **पूनम**

उम्र : **35 वर्ष**

निवासी : **पुल मिठाई**

जीवनयापन की स्थितियां

पुल मिठाई समुदाय इस क्षेत्र में 1984 से रह रहा है। उनमें से बहुसंख्य बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों से आए दलित हैं। अत्यधिक गरीबी और आजीविका का कोई माध्यम न होने के कारण वे दिल्ली पलायन के लिए मजबूर हुए हैं।

समुदाय के सदस्य, स्त्री और पुरुष दोनों ही पुल मिठाई रेलवे पुल पर मसाले, दालें और ड्राई फ्रुट बेचते हैं। मकान खरीदने या किराए में ले सकने की सामर्थ्य न होने के कारण वे रेलवे लाइन के किनारे गारे और फूस या टिन से बनाए गए अस्थाई मकानों में रहते हैं। जीवनयापन की न्यूनतम अस्थाई सुविधा के अलावा उनके मकानों में बिजली और पानी की कोई सुविधा नहीं है। रेलवे अधिकारी उन्हें टॉयलेट बनाने की अनुमति नहीं देते। वर्तमान समय में वहां एक भी टॉयलेट नहीं है। यह स्थिति महिलाओं के लिए विशेषरूप से अत्यधिक पीड़ाजनक है जिन्हें आए दिन पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। उन्हें खुले में शौच और स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रेलवे अधिकारी और दिल्ली पुलिस उन्हें वह जमीन छोड़ने के लिए धमकाते रहते हैं और उन्हें जबरन वहां से बेदखल करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं।

साक्ष्य

मैं पुल मिठाई में एक छोटी सी झुग्गी में अपने पति और दो बचों के साथ रहती हूं। मैं अपने विवाह के तुरंत बाद दिल्ली आ गई थी और यहां पुल मिठाई में रहने लगी। हमने जहां भी अपनी झुग्गी डाली पुलिस ने आकर उसे ध्वस्त कर डाला। मेरे परिवार को कई बार इधर-उधर हटाया गया, हमें हर बार अपने दम पर फिर से झुग्गी बनानी पड़ी है और इसके लिए भी पुलिस को मनाना पड़ा है।

हमारी एक छोटी दुकान भी है जहां हम चावल और दालें बेचते हैं। पुलिस मुझे निरंतर परेशान करती रहती है और कई बार तो हमारा सामान भी फेंक दिया गया। यद्यपि उसके पास ही एक टॉयलेट है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने पर हर बार मुझे 10 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इसलिए मैं रेलवे ट्रैक पर ही स्नान करती हूं लेकिन रेलवे लाइन से पानी काफी दूर है, मैं अपने बच्चों को पानी लाने के लिए भेजती हूं तो मुझे उनकी सुरक्षा की चिंता लगी रहती है।

जब मेरा बड़ा बच्चा पैदा होने वाला था तो कस्तूरबा हॉस्पीटल में मुझे चिकित्सा सुविधा देने से मना कर दिया गया, जबकि वह इमरजेंसी केस था। मुझ पर अस्पताल में भर्ती होने के लिए 10,000 रुपए जमा करने के लिए दबाव डाला गया। मेरे परिवार के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी और इस कारण लंबे समय से हम पर कर्जा है।

4 पुल मिठाई, दिल्ली

नाम : **नीलम**

उम्र : **25 वर्ष**

निवासी : **पुल मिठाई**

साक्ष्य

मेरा विवाह 10 वर्ष पहले हुआ था और मेरी 9 वर्ष की बेटी है। मेरे पति को पुलिस ने बुरी तरह पीट दिया था और एक गटर में फेंक दिया था, इससे उसके दिमाग पर गहरी चोटें आई हैं। पुलिस उनके विरुद्ध शिकायत लिखने से मना करती है जिन्होंने मेरे पति को पीटा था। इलाज के लिए ऑपरेशन बहुत महंगा है और मैं उसे वहन नहीं कर सकती।

2005 में रेलवे पुलिस ने उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जबरन हटा दिया था। पुलिस वालों ने महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को पीटा और उन्हें जगह खाली करने को कहा। उस समय मैं आठ महीने की गर्भवती थी, तीन पुलिस वालों ने मेरे सिर और पेट पर डंडे से मारा। मैं बुरी तरह घायल हो गई थी, मेरे सिर और जननांगों

से खून बहने लगा। मेरी मां ने मेरा बचाव करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे भी पीट डाला। मुझे पास के अस्पताल ले जाया गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया, मुझे घावों से बहुत पीड़ा होती थी। फिर भी पुलिस ने अस्पताल में मेरी चिकित्सा को बंद करा दिया और अगली शाम को ही डॉक्टरों ने मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। बाद में मेरा बच्चा पैदा हुआ तो वह बहरा था।

5 निजामुद्दीन, दिल्ली

नाम : **कुलसुम**

उम्र : **38 वर्ष**

निवासी : **निजामुद्दीन दरगाह के सामने का पार्क, निजामुद्दीन वेस्ट**

जीवनयापन की स्थितियां

निजामुद्दीन वेस्ट का पार्क कई बेघर महिलाओं और परिवारों का घर है। यहां करीब 50 महिलाएं पेड़ों के नीचे, फुटपाथ पर और अस्थाई आश्रय-गृह में रहती हैं। उनमें से कुछ अकेली माताएं हैं और उनकी कोई निश्चित आमदनी नहीं है। उन्हें अपने छोटे-छोटे बच्चें की देखभाल करनी होती है इसलिए वे बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर फुलटाइम काम करने में असमर्थ हैं। उनकी सामर्थ्य के अंदर क्रैच और पार्टटाइम रोजगार के अवसरों के अभाव के चलते, कुछ महिलाएं कूड़ा बीनने को काम करती हैं और कुछ भीख मांगती है।

साक्ष्य

मैं निजामुद्दीन दरगाह के सामने वाले पार्क में रहती हूं। मैं 16-17 वर्ष पहले आसाम से अपने पति के साथ आई थी। मेरे चार बच्चों, एक भाई और एक पति हैं। मेरे माता-पिता की कई वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। मैं पिछले दस वर्षों से अपने भाई से नहीं मिली हूं। मैं अपनी दो बेटियों के साथ रहती हूं। एक बेटी साढ़े तीन साल की और दूसरी दो वर्ष की है। मेरे दो बच्चे एक बेटा और एक बेटी बालगृह में रहते हैं। वर्तमान में मैं बेरोजगार हूं। अपने बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर होने के कारण मैं काम पर जाने में असमर्थ हूं। मैं आने-जाने वालों से पैसा और भोजन मांगने के लिए निजामुद्दीन दरगाह में जाती हूं। मुझे 20-30 रुपए प्रतिदिन मिल जाते हैं लेकिन कभी तो दिनभर में कुछ भी हासिल कर पाने में असमर्थ रहती है। मुझे मस्जिद पर पैसा मांगने पर हमेशा ही पुलिस और सेवा कुटीर के अधिकारियों के उत्पीड़न का डर रहता है। यदि मैं भीख मांगते हुए पकड़ी गई तो मुझे छः महीने की जेल हो सकती है। यहां तक भीख भी छिप-छिपकर मांगनी पड़ती है।

अकेली माता होने के कारण मुझे यौन-शोषण का सामना भी करना पड़ता है। एक बार जब में रात में सो रही थी तो मैंने एक किशोर लड़के को अपनी बगल में लेटे हुए पाया। उसने मेरी चादर खींच दी और मेरे कपड़े उतारने लगा। रात में मैं बुरी तरह डर गई थी। मैंने उस समय छोड़ देने लिए उसके हाथ जोड़े। अगली सुबह जब मैंने उसे पकड़कर रात की घटना के लिए लिए डांटा तो वह अपने कृत्य से मुकर गया।

अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करना मेरे लिए बड़ी चुनौती है। मेरे पास कोई पहचान-पत्र नहीं है। जब भी मैं काम की तलाश में जाती हूं तो लोग मुझे पहचान-पत्र दिखाने के लिए कहते हैं। मेरा कोई संरक्षक भी नहीं है, जो कि मेरा गाइरेंटर हो सके। इस समस्या के चलते मैं अपने बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र भी नहीं बना पाई हूं। जन्म प्रमाण-पत्र न होने से उनका किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता है। जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए 3,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। इतनी रकम मैं कहां से ला सकती हूं। मेरी बेटी चार वर्ष की हो गई है लेकिन अभी तक स्कूल नहीं जाती है।

6 निजामुद्दीन, दिल्ली

नाम : **प्रवीन**

उम्र : **25 वर्ष**

निवासी : **निजामुद्दीन दरगाह के निकट का पार्क, निजामुद्दीन वेस्ट**

साक्ष्य

मैं आजीविका की तलाश में बिहार से दिल्ली आई थी। एक आदमी ने मुझसे वायदा किया था कि मुझे बाई का काम मिल जाएगा। मुझे काम नहीं मिला और अपना और अपने बच्चों को पेट पालने के लिए मजबूर हो गई। रोजाना 20-30 रुपए हासिल करना भी मुश्किल है। कभी-कभी मुझे कूड़ा - प्लास्टिक बोतल, कप, अखबार आदि बीनना पड़ता है और उन्हें 10 रुपए में बेचती हूं। लेकिन यह मेरे बच्चों का पेट पालने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मैं नजदीक के एक आश्रय गृह में रहने लगी लेकिन मुझे वह छोड़ने के लिए कह दिया, क्योंकि वह केवल रात्रि आश्रयगृह है। मानसून के दौरान, मैने आश्रय गृह के कर्मचारियों ने कहा कि मेरे बच्चों को बुखार हो सकता है, उनसे मैंने विनती की कि वे बच्चों को आश्रयगृह में रहने दें। लेकिन उन्होंने मुझे दिन में आश्रयगृह में रहने की अनुमति नहीं दी।

फरवरी 2013 में लगभग 10-12 पुलिस वाले और स्थानीय गुण्डे पार्क और आश्रयगृह में आए और बेघर परिवारों को खदेड़ने लगे। उन्होंने हमारा खाना फेंक दिया, हमारे कपड़े और अन्य सामान जला दिया। एक पुलिसवाले ने मेरे सिर पर लाठी से मारा। मुझे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा।

7 कनॉट प्लेस, दिल्ली

नाम : **राधिका**

उम्र : **19 वर्ष**

निवासी : **हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस**

जीवनयापन की स्थितियां

कई बेघर लोगों ने हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस को अपना घर बनाया हुआ है। विचित्र, बेघर परिवार इस क्षेत्र में रहते हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में काम करते हैं। बेघर महिलाएं और लड़कियां घरेलू कामगार के रूप में कार्य करती हैं और मंदिर में भीख भी मांगती हैं। हालांकि पास ही एक आश्रय गृह है लेकिन महिलाएं पेड़ों के नीचे या अंडरपास (भूमिगत पारपथ) में सोती हैं। इस क्षेत्र में बेघर पुरुष, महिलाएं यहां तक कि बच्चे अत्यधिक मात्रा में नशीली दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।

साक्ष्य

मैं आठ माह की गर्भवती हूं। मैं अपने पति, सास और ननद के साथ रहती हूं। मेरे पति पर चोरी का आरोप लगाया गया और पुलिस ने उसकी पिटाई की। मैंने जब अपने पति का बचाव करने का प्रयास किया तो पुलिस ने मेरे पांवों पर लाठी से मारा और पेट पर धक्का दिया। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं गर्भवती हूं तो उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। उन्होंने मेरे पति को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और पिछले तीन हफ्तों से वह जेल में है। लेकिन शिकायत के कारण पुलिस मेरे पति को रिहा नहीं कर रही है।

इस घटना के बाद हमारी सारा सामान चोरी हो गया और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं वकील की सेवा लेने में असमर्थ हूं और मैं यह भी नहीं जानती कि मैं अपनी पति की जमानत कैसे कराऊं। मै। जब अपने पति को देखने जेल में गई तो वह मुझे बहुत कमजोर लगा और उसके शरीर पर ताजा घाव देखे थे।

8 कनॉट प्लेस, दिल्ली

नाम : **पूजा**

उम्र : **20 वर्ष**

निवासी : **हनुमान मंदिर, कनॉट प्लेस**

साक्ष्य

चार वर्ष पहले मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरे सास-ससुर ने मुझे और मेरे बच्चों को बुरी तरह प्रताड़ित किया। मैं अपने दो बच्चों को साथ लेकर हनुमान मंदिर क्षेत्र में अपने मायके में जाकर रहने लगी। मेरे बच्चे चार और छः वर्ष के हैं। अकेली माता होने के नाते मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं फुलटाइम काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है जो कि घर में रहते हैं। मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे चिंता रहती है कि वे कहीं नशाखोरों के संगत में न पड़ जाएं। उन्होंने बीड़ी पीना तो शुरू कर ही दिया है। मैं पास-पड़ोस के प्रभाव में अपने बच्चों में अनुशासन बनाए रखने में असमर्थ हूं। मैं मंदिर में फूलों की मालाएं बनाती हूं और रोजना 50 रुपए तक कमा लेती हूं। कभी-कभी में दिन के 150 रुपए तक कमा लेती हूं जबकि मैं 20 किलोग्राम फूलों की मालाएं बना सकूं।

मेरे पास कोई परिचय पत्र नहीं हैं, स्कूल प्रशासन मेरे बच्चों को स्कूल और स्कूल हॉस्टल में दाखिला नहीं देता। मैंने अपने बच्चों को गाजियाबाद के आश्रय गृह में भेजने की कोशिश की लेकिन उन्होंने बच्चों को वहां रखने से मना कर दिया क्योंकि मैं अपने पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र उन्हें दे नहीं सकी। मैंने 'सलाम बालक' के आश्रय-गृह में भी प्रवेश करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने भी बच्चों को वहां रखने से मना कर दिया।

हमारा अपना कोई मकान नहीं है, इस कारण कोई टॉयलेट भी नहीं है। हम नहाने-धोने के लिए बंगला साहिब गुरुद्वारा जाते हैं। जब हम पैसा नहीं देते तो कार्यकर्ता हमें वहां से भी भगा देते है।

9 लोधी रोड, दिल्ली

नाम : **आइशा बीबी**

उम्र : **52 वर्ष**

निवासी : **लोधी रोड आश्रय-गृह**

जीवनयापन की स्थितियां

लोधीरोड आश्रय-गृह बेघर महिलाओं के लिए है। महिलाओं ने आश्रय-गृह में पानी की आपूर्ति न होने और पर्याप्त टॉयलेट न होने के कारण मुश्किलों का सामना करने की शिकायत की है।

साक्ष्य

राजधानी को जब कॉमन वेल्थ खेल 2010 के लिए तैयार किया जा रहा था तो कई बस्तियों को हटाने के लिए तोड़-फोड़ की गई थी। मैं भी जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम के निकट की गई तोड़-फोड़ की पीड़ित हूं। हालांकि मैं पालम एयरपोर्ट के निकट एक प्लॉट हासिल करने की हकदार थी लेकिन अधिकारियों ने मुझे 7,000 रुपए चुकाने के लिए कहा। मेरे पास इतना पैसा चुकाने के लिए नहीं था तो उन्होंने मुझे प्लॉट नहीं दिया।

मैं खाने के लिए साई बाबा मंदिर में जाती हूं लेकिन पुलिस ने मुझे और अन्य औरतों को वहां जाने से रोक दिया था। मुझे मंदिर के बाहर भीख मांगने और मंदिर परिसर में सोने की भी अनुमति नहीं दी गई। जब मंदिर के निकट बेघर महिलाओं के लिए आश्रय-गृह बनाया गया तो मैं और मेरी जैसी औरतें वहां जाकर रहने लगी। सरकार ने नहाने और सफाई के लिए एक सुलभ शौचालय (सार्वजनिक शौचालय) भी बनाया है। सुलभ शौचालय और आश्रय-गृह के बीच अनुबंध के अनुसार आश्रय-गृह में रहने वाली महिलाओं को नि:शुल्क शौचालय का इस्तेमाल करने की छूट दी जाएगी। आरंभ में शौचालय चलाने वाले पुरुषों ने टॉयलेट में पानी की सप्लाई रोक दी स्नान करने की जगह कबाड़ भर दिया। बाद में वे हर एक से पैसे मांगने लगे और महिलाओं का उत्पीड़न करने लगे। रात में वे टॉयलेट पर ताला लगा देते हैं, तब महिलाओं के लिए शौच आदि की कोई जगह नहीं रह जाती। आश्रय-गृह की महिलाएं आज भी शौचालय के संचालक पुरुषों की मेहरबानी पर हैं और पुलिस से उनका मुकाबला तो कभी खत्म होने वाला नहीं है।

10 लोधी रोड, दिल्ली

नाम : **गुलाब शाह**

उम्र : **50 वर्ष**

निवासी : **लोधी रोड आश्रय-गृह**

साक्ष्य

मैं कोलकाता से दिल्ली आई और पिछले दो वर्षों से लोधीरोड आश्रय-गृह में रह रही हूं। जबकि मेरा घर कॉमन वेल्थ खेल 2010 के दौरान तोड़ दिया गया था।

दो वर्ष पहले जब मैं साई बाबा मंदिर पर अपने परिवार के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी तो मैंने देखा कि पुलिस वालों ने मेरी झुग्गी को घेर रखा है। उन्होंने मुझे बताया कि झुग्गी को तोड़ा जा रहा है किसी को भी अंदर-बाहर आने या जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैंने उनसे अंदर जाने देने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे अंदर थे, मैंने पुलिस वाले को मनाने का दूसरा तरीका अपनाया तब उसने मुझे अंदर जाने की अनुमति दी। मैं दौड़कर अपनी झुग्गी में गई तो देखा कि झुग्गी को पुरी तरह ढ़हा दिया गया था और मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया गया था। मेरे बच्चे उसके बाहर सड़क पर बैठे रो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कहां जाऊं। मैं एकाएक बेघर हो गई थी और मैंने अपने दो बच्चों के साथ गली में रहना शुरू किया।

आश्रय-गृह के पास का बाथरूम प्रतिदिन 7-8 बजे बंद हो जाता है। महिलाएं यदि रात में टॉयलेट जाना चाहे तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। आश्रय-गृह में अपना सामान रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है।

11 कालकाजी, दिल्ली

नाम : **गीता**

उम्र : **30 वर्ष**

निवासी : **कालकाजी मंदिर**

जीवनयापन की स्थितियां

कालकाजी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कई टी स्टॉल और बेघरों के लिए अस्थाई आश्रय-गृह बने हैं। आश्रय-गृह, जो कि टिन की छत वाला सीमेंट की फर्श का बना है, कई बेघर महिलाओं और उनके परिवारों का घर है। आश्रय-गृह के अंदर परिवार रहते हैं, खाना बनाते हैं और सोते हैं। आसपास कोई टॉयलेट न होने से महिलाओं को शौच और स्नान के लिए खुले में जाना पड़ता है।

साक्ष्य

मेरे पांच बच्चे हैं और मैं अपने दो भाईयों एवं मां के साथ रहती हूं। घर न होने के कारण हम पिछले 20 सालों से रेलवे ट्रैक पर रह रहे थे। पुलिस मेरे परिवार या समुदाय के अन्य लोगों को कोई शेड या अस्थाई घर नहीं बनाने देती थी। पुलिस हमें सड़क, अंडर ब्रिज (भूमिगत पारपथ), फ्लाई ओवर और अन्य सार्वजनिक स्थलों से खदेड़ देती थी। जब कभी वे हमें रहने भी देते तो हम चींटियों की तरह रहते थे। पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बाद हमने कालाजी मंदिर के पास अस्थाई छज्जे में रहना शुरू किया। आजीविका के लिए मैं पार्टियों एवं शादी-ब्याह में बर्तन धोती हूं। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं लेकिन मैं किताबों, जूतों और स्कूल ड्रेस का खर्चा नहीं उठा सकती। बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं जो कि दो किलोमीटर देर है।

12 कालकाजी, दिल्ली

नाम : **पूनम**

उम्र : **30 वर्ष**

निवासी : **कालकाजी मंदिर**

साक्ष्य

मैं प्रतिदिन आर्थिक शोषण का सामाना करती हूं। मेरे पति काम नहीं करते। मैं सात व्यक्तियों के परिवार में अकेली कमाने वाली हूं। मेरी आमदनी का मुख्य साधन गलियों में पॉपकॉर्न बेचना है, क्योंकि पुलिस मुझे दुकान लगाने नहीं देती। अनुमति देने के लिए वे रिश्वत मांगते हैं। मैं उन्हें रिश्वत देने में असमर्थ हूं इसलिए वे मेरी दुकान को लगातार हटाते रहते हैं। सामान के नुकसान का डर भी मुझे रोजाना की आमदनी की अनुमति नहीं देता। यहां तक कि 'सेवा कुटीर' के लोग भी आकर मेरी पिटाई कर देते हैं। वे कहते हैं, 'तूने बच्चे पैदा क्यों किए जब तू उन्हें पाल नहीं सकती। एक कमरा ले और अपने बच्चों को वहां रख।' लेकिन मैं एक कमरे का किराया वहन नहीं कर सकती। वे हमारे कपड़े भी जला देते हैं जबकि हम उन्हें सुखाने के लिए बाहर डालते हैं। वे हमारा खाना भी फेंक देते हैं।

चूंकि मेरा परिवार एक खुले क्षेत्र में रहता है, इसलिए हमेशा क्षेत्र की जवान लड़कियों और बेघर महिलाओं को अपहरण, यौन शोषण और बलात्कार का डर सताता रहता है। मैं अपनी जवान बेटियों की सुरक्षा को लेकर मानसिक तनाव में रहती हूं। मैं बिना सोए रात काटती हूं ताकि मेरी बेटियां सुरक्षित रह सकें। मेरी तरह कई बेघर महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए बिना सोए रात गुजारती हैं।

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर

जन सुनवाई

13 अगस्त, 2013

इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, नई दिल्ली

निर्णायक मंडल (ज्यूरी) का निष्कर्ष

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ (Urban Right Forum : With the Homeless) दिल्ली में 20 से अधिक नागरिक जन संगठनों एवं बेघरों का समूह, द्वारा 13 अगस्त 2013 को 'दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन सुनवाई' का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में निर्णायक मंडल के समक्ष 12 बेघर महिलाओं द्वारा प्रस्तुत उनके साथ हुई हिंसक घटनाओं, गाली-गलौच, प्रताड़ना एवं तकलीफों की कहानियों के आधार पर बेघर महिलाओं की स्थितियों की जांच-पड़ताल की गई। जन सुनवाई में 200 से अधिक बेघर महिलाएं एवं पुरुष श्रोता के रूप में उपस्थित थे।

जन सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त पूरक सूचनाओं के आधार पर निर्णायक मंडल के सदस्यों[1] ने निम्नलिखित निष्कर्ष जारी किए:

दिल्ली में बेघर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा पर जन सुनवाई के पश्चात निर्णायक मंडल गंभीर चिंता व चेतावनी के साथ उन तथ्यों पर संज्ञान लेता है जिनका दिल्ली में आश्रयहीनता की समस्या, जिसका शहर में महिलाओं पर विशेष प्रभाव पड़ता है, को बढ़ाने में योगदान रहा है।

जन सुनवाई में निर्णायक मंडल के सदस्यों ने बेघर लोगों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों में, विशेषरूप से महिलाओं के मामलों में मानवाधिकारों के हनन, उनके विरुद्ध हिंसा की प्रक्रिया, प्रकृति और तौर-तरीकों तथा शोषक पक्ष के आचार-व्यवहार एवं क्रिया-कलाप की काफी निराशापूर्ण स्थितियां पायीं। लगभग हर जगह एक समान स्थितियां थीं। ये स्थितियां दिल्ली पुलिस के उत्पीड़न, संबंधित सरकारी कर्मियों के असामान्य और कठोर व्यवहार तथा शासन की लीपापोती व मामले को टालने की कार्यशैली, बेघर लोगों के संवैधानिक अधिकारों एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का हनन करने की भद्दी तस्वीर पेश करती हैं।

निर्णायक मंडल अन्य मानवाधिकारों, समुचित आवासीय अधिकार तथा संबंधित व्यक्ति व उसके घर की सुरक्षा के अधिकार के कठोर उल्लंघन पर संज्ञान लेती है। दिल्ली में कामकाजी लोगों की एक बड़ी तादाद समुचित आवास का व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं है और इस कारण बेघर हैं। गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था कर पाना एक जटिल समस्या है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को कम

1. निर्णायक मंडल में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.पी. शाह, हिमाचल प्रदेश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ, संयुक्त राष्ट्र में समुचित आवासीय मामलों के पूर्व विशेष प्रतिनिधि मिलुन कोठारी, टाइम्स ऑफ इंडिया की सहायक सम्पादक अम्बिका पंडित और पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलेपमेंट की कार्यकारी निदेशक मधु मेहरा शामिल थीं।

कीमत के मकानों की सुविधा उपलब्ध कराना शेष है। महिलाएं जब शारीरिक उत्पीड़न, गाली-गलौच व हिंसक वारदातों से बचने के लिए अपना घर छोड़कर चली जाती हैं, तो वे भी बेघर होने को मजबूर हो जाती हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए अस्थाई घरों एवं उचित आवासीय व्यवस्था के अभाव में वे शहर की गलियों व सड़कों में रहने को मजबूर हो जाती हैं, जहां उन्हें आये दिन कभी खत्म न होने वाली हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस हिंसा में दिल्ली पुलिस, अन्य सरकारी कर्मचारी एवं वहां से गुजरने वाले आम लोग शामिल होते हैं, वे बेघर महिलाओं को सोने नहीं देते, उनके कपड़े जला देते हैं, उन्हें अवैध शारीरिक संबंध बनाने को विवश करते हैं, उनको मौखिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तथा उनके अस्थाई आवास को बार-बार नष्ट करते रहते हैं।

ज्यूरी दिल्ली में बेघर महिलाओं के लिए आश्रय-गृहों की भारी कमी तथा समुचित सफाई सुविधाओं के अभाव को लेकर काफी गंभीर है, इन्हीं कारणों के चलते बेघर महिलाओं को खुले स्थानों में स्नान करना पड़ता है जो कि अमानवीय है और आगे चलकर इसकी परिणति उनके विरुद्ध बर्बर हिंसा के रूप में देखी जाती है। स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश सार्वजनिक शौचालयों में गार्ड पानी की आपूर्ति बंद कर बेघर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं और उनसे अतिरिक्त धनराशि वसूल करते हैं।

उपलब्ध आश्रय-गृहों में कामकाजी बेघर महिलाओं के बच्चों के लिए या आगे पढ़ाई जारी रखने की इच्छुक महिलाओं के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आश्रय-गृह आम तौर पर असुविधाजनक स्थानों पर बने हैं और उनमें रहने की अनेक शर्तें थोपी गयी हैं जो कि कामकाजी महिलाओं के जीवनयापन के लिए अव्यावहारिक हैं। जन सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना से यह तथ्य भी सामने आया है कि कई स्थानों पर आश्रय-गृहों की कमी है, जबकि दूसरे स्थानों पर बने आश्रय-गृह रहने योग्य न होने से बेघर उनमें रहना नहीं चाहते। उदाहरण के रूप में पुल मिठाई बस्ती के एक निवासी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना से यह तथ्य उजागर हुआ कि वहां गलियों में बेघर महिलाएं मसाले आदि बेचकर अपनी आजीविका चलाती हैं। उन्हें वहां व्यापार करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, लिहाजा उनको पुलिस द्वारा आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। अपनी आजीविका का आधार छिन जाने के भय से उनमें से अधिकांश बेघर महिलाएं रेलवे लाईनों से लगे पुलों के नीचे रहने को मजबूर हैं। वे चाबीगंज स्थित आश्रय-गृह में रहने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं, क्योंकि चाबीगंज उन महिलाओं के कार्यस्थल से बहुत दूर है। इससे स्पष्ट होता है कि आवासीय योजनाओं तथा उनके प्रबंधन को व्यावहारिक बनाए जाने की सख्त आवश्यकता है, जिससे पूरे शहर में टिकाऊ और सालाना आवास का खाका तैयार किया जा सके, मुख्यतः बेघर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना आवश्यक है।

महिलाओं ने अपने साक्ष्यों में इस बात का खुलासा किया है कि उपलब्ध आश्रय-गृह सभी बेघरों की आवास की समस्या का स्थाई समाधान नहीं है और उन लोगों को एक अस्थाई समाधान मुहैया करा सकते हैं जिन्हें सिर्फ सोने या आराम करने के लिए स्थान की तलाश है। बेघर परिवार आश्रय-गृहों में स्थाई रूप से नहीं रहना चाहते, क्योंकि वहां गोपनीयता के साथ ही जीवन यापन की समुचित व्यवस्थाओं का घोर अभाव है। निजामुद्दीन से प्राप्त एक साक्ष्य से स्पष्ट तथ्य इसका उदाहरण है। आमतौर पर बेघर महिलाएं बाहर सड़कों के किनारे रहने को प्राथमिकता देती हैं, जबकि एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा इस क्षेत्र में एक आश्रय-गृह संचालित किया जा रहा है। इसका प्रमाण प्रस्तुत किया गया कि किसी भी आश्रय-गृह में बेघर परिवार तभी रह सकता है जबकि वहां परिवार के सदस्यों की गोपनीयता और उनके सशक्तीकरण व उत्थान की गतिविधियां संचालित करने की सुविधाएं उपलब्ध हों।

अधिकांश महिलाओं ने कहा कि उनके दो से अधिक बच्चे हैं और उनके पति परिवार को सहारा देने के लिए जरूरी जिम्मेदारी नहीं निभाते। महिलाओं को अपना और बच्चों का बचाव स्वयं करना पड़ता है। वे यहां भी अपने बच्चों को साथ लेकर आयी हैं। कुछ बेघर महिलाओं ने अवगत कराया

कि उनके पति शराबी हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, वे अपनी पत्नियों पर पैसा देने के लिए दबाव डालते हैं, साथ ही उनका शारीरिक उत्पीड़न करते हैं।

दिल्ली में कई परिवार, उचित प्रक्रिया अपनाये बिना एवं पुनर्वास की उचित व्यवस्था निश्चित किये बिना जबरन बेदखली के कारण बेघर हुए हैं। कॉमन वेल्थ खेल 2010 के कारण सैकड़ों परिवार बेघर होने को मजबूर हुए हैं। महिलाओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ है कि उस दौरान हुई बेदखली पर उन्हें कोई भी पूर्व सूचना नहीं दी गयी। बेदखली के दौरान वे अपना सामान नहीं बचा सके और कई लोग अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज गंवा बैठे। उसके बाद, कई महिलाओं ने बेघर महिलाओं के लिए बनाए गए आश्रय-गृहों में रहना आरम्भ किया। आश्रय गृहों की व्यवस्था दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड करता है, लेकिन उनमें मूलभूत सुविधाओं जैसे पानी, बिजली तथा सफाई की कमी है।

निर्णायक मण्डल ने आगे संज्ञान लेता है कि उचित आवास के मानवीय अधिकारों के हनन का नकारात्मक प्रभाव कई अन्य मानवाधिकारों पर पड़ता है। स्वास्थ्य सम्बन्धी मानवाधिकार भी एक महत्वपूर्ण मामला है। गलियों में रहने वाली महिलाओं को अनेक संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त होने आशंका होती है। मातृत्व स्वास्थ्य एवं रक्त आदि के जांच की कोई सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल अक्सर पानी और बिजली की कमी का बहाना बनाकर उपचार करने से इंकार कर देते है। कुछ मामलों में यह जानते हुए भी कि महिला को मदद की सख्त जरूरत है उनसे मोटी रकम वसूली जाती है। सरकारी अस्पतालों में, अनेक बेघर महिलाओं को प्रसव जैसी अत्यन्त नाजुक स्थिति में स्वास्थ्य उपचार करने से मना कर दिया जाता है, तर्क यह दिया जाता है कि गर्भावस्था के दौरान उनका स्वास्थ्य सम्बन्धी परिक्षण एवं उपचार उनके अस्पताल में नहीं चला, इसलिए लिहाजा उन्हें भर्ती नहीं किया जा सकता। अंततः ऐसी महिलाओं को हताश प्राइवेट अस्पतालों की शरण में जाना पड़ता है, जहां उपचार के लिए उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ती पड़ती है।

निर्णायक मंडल गर्भवती महिलाओं सहित बेघर महिलाओं के विरुद्ध उत्पीड़कों द्वारा शारीरिक उत्पीड़न की सूचनाओं लेकर अत्यंत चिंतित है। खुले में एवं बेघरों के आश्रय गृहों में व्यापक रूप में जीवनयापन की विषम परिस्थितियां बेघर महिलाओं, विशेषरूप में बच्चों, वृद्धों व लाचार व अपंग महिलाओ के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। कई महिलाओं ने प्रस्तुत साक्ष्यों में स्पष्ट किया कि अक्सर पुलिस द्वारा उनका शारीरिक उत्पीढ़न किया जाता है जो उन्हें फुटपाथ या आश्रय गृह के बाहर साने अथवा विश्राम करने की अनुमति नहीं देती है। साथ ही वे गर्भवती महिलाओं की पिटाई कर देती है ताकि वे उत्पीड़न से बचने के लिए उन्हें रिश्वत दे दें।

अधिकांश बेघर महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन इसलिए भी होता है कि वे अपने बच्चों छोड़ने एवं काम पर जाने को असमर्थ होती हैं। उन्हें हमेशा अपने बच्चों का अपहरण होने, उन्हें चोट पहुंचने या प्रताड़ित होने का डर रहता है। उन्हें काम देने वाले कई मालिक नहीं चाहते कि महिलाएं काम के दौरान बच्चे साथ लाएं, खासतौर पर वे महिलाएं जो घरेलू काम करती हैं। इन महिलाओं को धनार्जन या अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में उनके पतियों का सहयोग बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलता है। क्रैच (बालगृह) और सुरक्षित आश्रय गृह का अभाव इन महिलाओं की कमाने की क्षमता को अपंग बना देता है। दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं का वे ठेकेदारों द्वारा यौन एवं मौखिक कटाक्षों से उत्पीड़न किया जाता है, स्थिति के असह्य हो जाने पर उनके लिए फिर से काम पर जाना बहुत मुश्किल होता है। रहने के लिए कोई स्थाई घर न होने के कारण उन्हें पुलिस उत्पीड़न से बचने के लिए वे अक्सर अलग-अलग स्थानों पर अपना आश्रय बनाती रहती हैं और इससे उन्हें कोई स्थायी कार्य नहीं मिलता जिससे उन्हें बेहतर वेतन मिले सके। काम करने में असमर्थता के फलस्वरूप बेघर परिवारों की दिहाड़ी मजदूरी का नुकसान होता और इससे वे भोजन का खर्च वहन करने में भी समर्थ नहीं हो पाते, इससे उनके भोजन के मानवीय अधिकारों के हनन होता है।

निर्णायक मंडल यह भी संज्ञान में लेता है कि बेघर बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने के मानवाधिकारों का हुआ है, क्योंकि ये बच्चे विद्यालयों में जाने में समर्थ नहीं हैं। कॉमन वेल्थ खेलों के दौरान बेदखल किये गये परिवारों के कई बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा, तब से वे कहीं पढ़ाई करने नहीं जा सके। सरकारी स्कूल गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराने और सभी बेघर बच्चों का दाखिला देने में असमर्थ रहे है। कई बेघर लोग अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करा पाने के लिए अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। निर्णायक मंडल इस तथ्य पर नाराजगी व्यक्त करता है कि शिक्षा व्यवस्था का बेघर बच्चों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, जो कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए समर्थ बना सके।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को बेघर लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा, जिनमें आश्रय गृहों में रह रहे बेघरों के दैनिक भोजन की व्यवस्था एवं आश्रय गृहों में जीवन यापन की आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति किया जाना भी शामिल है, के कई अंतरिम आदेश जारी किये जाने के बावजूद अधिकारी बेघर लोगों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं। बेघरों के उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकरण दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड पूरी तरह प्रभावहीन साबित हो चुका है। बोर्ड द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह न करना अन्यायपूर्ण है और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है। निर्णायक मंडल न्यायालय के आदेशों को लागू न किए जाने और आश्रय गृहों की व्यापक अनुपलब्धता और दिल्ली में बेघर महिलाओ के जीवन यापन की दयनीय स्थितियों की आलोचना करता है।

निर्णायक मंडल, बेघर महिलाओं के विरुद्ध मानसिक, शारीरिक, यौन, सामाजिक एवं आर्थिक हिंसा, जो कि उन्होंने जन सुनवाई में प्रस्तुत साक्ष्यों में स्पष्ट की है, से दु:खी है। निर्णायक मंडल महिलाओं द्वारा धैर्य और साहस से इन समस्याओं का सामना करने की प्रशंसा करता है।

निर्णायक मंडल, नीतियों एवं कानूनों में शहरी गरीबों के साथ बढ़ते भेदभाव, जो कि दिल्ली में गरीबों की सुविधाओं में व्यापक कमी के रूप में प्रदर्शित होता है और दिल्ली सरकार द्वारा कम कीमत वाले मकान उपलब्ध कराने को भी संज्ञान में लेता है। निर्णायक मंडल बेघर महिलाओं के प्रति सरकारी प्राधिकरणों के अमानवीय व्यवहार की आलोचना करता है।

बेघर महिलाओं द्वारा झेली गई हिंसा और उनके मानवाधिकारों के चौतरफा हनन के तथ्यों के प्रकाश में जोरदार तरीके से संस्तुति करता है कि:

- सभी बेघर लोगों, विशेषकर बेघर महिलाओं के मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा प्रदान किया जाना और लागू किया जाना चाहिए।
- बेघर महिलाओं को, विशेष नीतियों एवं योजनाओं को लागू करने के लिए, पीड़ित होने वाली महिलाओं की विशेष श्रेणी में रखा जाना चाहिए।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेघर महिलाओं के लिए अलग स्थाई, वर्षभर एवं 24 घंटे सुचारू आश्रय गृहों का निर्माण करे, जिनमें कामकाजी महिलाओं एवं परिवारों के बच्चों उचित क्रैच की सुविधा हो। जहां आवश्यक हो, आश्रय गृहों में चिकित्सा उपचार एवं जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- सरकार को एक आवासीय एवं आश्रय योजना को विकसित एवं लागू करना चाहिए, जहां बेघर आबादी – मजदूरों, रेहड़ी–पटरी व्यापारियों, रिक्शा चालकों, मानसिक रोगियों, शारीरिक अपंगों, अस्वस्थ लोगों और मोतिया खान एवं मानसरोवर पार्क जैसे स्थानों में रहने वाले विशेष समुदायों की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति हो सके।

- सरकार को ऐसा उपाय कर सुनिश्चित करना चाहिए कि बेघर महिलाएं जिन गलियों एवं आश्रय गृहों में रह रही हों उन्हें वहां से न हटाया जा सके।
- दिल्ली सरकार को बेघरों के लिए सब्सिडी में भोजन उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे उन्हें अपनी सीमित आमदनी को भरण-पोषण के लिए व्यय न करना पड़ा।
- सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बेघर महिलाओं के आवश्यक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, बनाए जाए जिससे उन्हें अपने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और राजनैतिक भागीदारी का अवसर प्राप्त हो।
- सरकार को सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करना चाहिए और यह भी निश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तकें एवं ड्रेस मिले। सिविल सोसाइटी (नागरिक समाज) को भी बेघर बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना चाहिए।
- सरकार को गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ मिलकर शहर में बेघर लोगों की संख्या का कंप्यूटरीकृत आंकड़ा तैयार करना चाहिए। इससे उन्हें आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी और सरकार और स्वैच्छिक संगठनों के बीच सहभागिता का अवसर मिलेगा।
- सभी स्वैच्छिक संगठनों को सर्वप्रथम बेघर लोगों के आवश्यक मसलों पर काम करना चाहिए। इनमें बेघरों के परिचय के दस्तावेज, रोजगार के अवसर और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराना शामिल हैं।
- सभी बेघर महिलाओं को अस्पतालों में अतिरिक्त दवाओं, इंजेक्शन, भोजन और निरंतर स्वास्थ्य जांच की सुविधाओं के साथ मातृ स्वास्थ्य उपचार सहित, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सरकार को बेघर महिलाओं के जनन के अधिकार को सुनिश्चित करने की जरूरत है। अधिकतर बेघर महिलाएं अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है और बच्चा पैदा करें या न करें, यह निश्चय कर पाने में उनका नियंत्रण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि बेघर महिलाओं को आश्रय गृहों के माध्यम से कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाए।
- बेघर महिलाओं के मानवाधिकार शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, विशेषकर उनके सामाजिक सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य, उचिन आवास, काम और शिक्षा के अधिकारों की मांग करने में असमर्थ होने की स्थिति में।
- सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जो कि उपलब्ध नीतियों से बेघर लोगों को जोड़ सके। उन्हें समाज कल्याण की योजनाओं से जोड़ने की व्यवस्था कायम किए जाने की अवश्यकता है, इससे बेघर महिलाओं एवं बच्चों को उनके सम्मानपूर्वक जीवन यापन के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी।
- सरकार को बेघर महिलाओं के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा की जाने वाली हिंसा की जांच-पड़ताल करनी चाहिए और जिन्हें दोषी पाया जाता है उन्हें दंडित करना चाहिए।
- दिल्ली सरकार के प्राधिकरणों और नगर निगमों में तैनात सरकारी कर्मचारी, जो दिल्ली में बेघरों की समस्याओं के समाधान में रुचि नहीं लेते और विशेष रूप से बेघर महिलाओं की शिकायतें दूर करने में असफल रहे हैं को जवाब-तलब करना चाहिए एवं कार्य करवाना चाहिए।
- दिल्ली में बेघरों के लिए विस्तृत अंतर-क्षेत्रीय योजना होनी चाहिए जिसमें संबंधित प्रादेशिक एवं

केन्द्रीय नीतियां समाहित हों। इस योजना में विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल कल्याण विभाग शामिल किए जाने चाहिए।

- दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, नई दिल्ली महानगर पालिका, दिल्ली छावनी, दिल्ली विकास प्राधिकरण और आवास अधिकार संगठनों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास एवं जमीन के मामलों का अध्ययन करे। स्थाई आश्रय गृहों और कम कीमत वाले मकानों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, लिहाजा विभिन्न भूमि पर नियंत्रण रखने वाले सरकारी विभागों को संयुक्त रूप से काम करना चाहिए। ऐसी समिति को बेघर महिलाओं की समस्या का समाधान हेतु उन्हें आश्रय गृहों से मुक्त कराने के लिए, आश्रयहीनता के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही के लिए कम कीमत वाले मकानों के निर्माण एवं दीर्घ कालिक योजना का निर्माण करना चाहिए।
- बेघर महिओं को सूचनाएं प्रदान करने और अपने परिवारों के साथ एवं गलियों में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति को उन्हें परिचय पत्र बनाने, शिकायतें दर्ज कराने और अतिरिक्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने एवं हिंसा का प्रतिरोध करने में मदद करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए लॉ स्कूलों और विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

निर्णायक मंडल संज्ञान में लेता है कि बेघर महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके मानवाधिकारों का हनन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानूनों का हनन है।

निर्णायक मंडल स्पष्ट करता है कि सरकार की यह जवाबदेही निश्चित होनी चाहिए कि बेघर महिलाओं के साथ दुर्व्यहार और उत्पीड़न करने वालों द्वारा उनके विरुद्ध होने वाली हिंसा को समाप्त किया जाए, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय-गृहों में बेहतर सुविधाओं और जीवन यापन की जरूरतों की आपूर्ति हो, बेघर महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों और दिल्ली में बेघर महिलाओं को उनके राष्ट्रीय, संवैधानिक एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।

जन सुनवाई की तस्वीरें

जन सुनवाई में भाग लेते बेघर पुरुष और महिलाएं

बयान सुनता निर्णायक मंडल (ज्यूरी)

सबसे कमजोर पर पुलिस की निर्दयता का बखान करती एक बेघर गर्भवती महिला

निर्णायक मंडल (ज्यूरी) अपना निर्णय सुनाते हुए

शहरी अधिकार मंच : बेघरों के साथ
जी-18/1 निजामुद्दीन वेस्ट
लोवर ग्राउंड फ्लोर
नई दिल्ली-110013
011-2435-8492